न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/99/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/174

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री श्रीकान्त सैदावत, नि0 ग्राम व पोस्ट–रैणी (अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 06.06.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः **04.07.2022**

1. उभय पक्ष अनुपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 18.04.2022 के द्वारा प्रत्यर्थी के उपखण्ड अधिकारी राजगढ के पद पर नियुक्ति, नियुक्ति की तारीख से सूचना आवेदन तक उपखण्ड क्षेत्रान्तर्गत सरकारी, सिवायचक, चारागाह एवं अन्य प्रकार के भूमि आवंटन, नियमन की संख्या व अन्यान्य कुल 22 बिन्दुओं पर एवं सूचना आवेदन दिनांकः 18.04.2022 की ही स्थिति में एक अन्य आवेदन प्रस्तुत कर जिला कलक्टर महोदय, अलवर के आदेश सं. 4822 दिनांकः 21.08.2014 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी एव तहसीलदार राजगढ द्वारा की गई कार्यवाही बाबत व अन्यान्य कुल 18 बिन्दुओं पर सूचना/प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किए गए विनिश्चय के विरूद्ध हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. सू.अ./2022/1370 दिनांकः 20.06.2022 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के दोनों सूचना आवेदन दिनांकः 18.04.2022 के परिप्रेक्ष्य में क्रमशः पत्र सं. सू.अ./2022/1355 दिनांकः 17.06.2022 एवं पत्र सं. सू.अ./2022/1362 दिनांकः 20.06.2022 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के तहत विनिश्चय किया जाकर अपीलार्थी को बिन्दुवार सूचित किया जा चुका है।
7. सूचना आवेदनों के पृथम दृष्टया अवलोकन अनुसार वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के आलोक में बेहद विस्तृत, श्रमसाध्य एवं किसी भी लोक प्राधिकारी के संसाधनों को विचलित करने वाली सूचना है।
8. अतः अपील, अपीलार्थी अ**स्वीकार** की जाकर निस्तारित की जाती है तथापि लोकहित में अपीलार्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वो दोनों सूचना आवेदन दिनांकः 18.04.2022 में वांछित सूचना के विषय विशिष्टीकृत/संक्षिप्त कर अथवा प्रत्यर्थी के कार्यालय में किसी भी कार्यालय दिवस व समय में उपस्थित होकर नियमानुसार सूचना चिन्हित करते हुए पृथक से सूचना आवेदन, प्रत्यर्थी को आवेदन–शुल्क के साथ प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकता है।
9. आज दिनांकः 04.07.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकितकिया गया।

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)